

महोदय,

कृपया कार्यालय उपजिलाधिकारी हसनगंज जनपद उन्नाव के पत्र संख्या 276/एस0 टी0/2020 दिनांक 25 जून 2020 पर अपर जिलाधिकारी (पि0/रा0) उन्नाव महोदय के पृष्ठांकन दिनांक 28.6.2020 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे। जिसमें शासन के उच्च शिक्षा अनुभाग-1 पत्र संख्या 713/सत्तर-1-2020-20(18/2020 दिनांक 03.6.2020 के द्वारा दयानन्द दीनानाथ ग्रुप आफ इस्टीट्यूशन एण्ड एजुकेशन सोसाइटी, उन्नाव द्वारा महात्मा गांधी स्विट्ज एण्ड ओपन यूनिवर्सिटी, उन्नाव की स्थापना हेतु निर्दिष्ट भूमि की जांच तहसीलदार हसनगंज को मौके पर भेजकर कराने का निर्देश दिया गया है। उक्त के सम्बन्ध में अभिलेखीय एवं स्थलीय जांच की गयी। जांच आख्या बिन्दुवार निम्नवत् है-

1. प्रायोजक संस्था दयानन्द दीनानाथ ग्रुप आफ इस्टीट्यूशन एण्ड एजुकेशन सोसाइटी द्वारा प्रस्तावित संस्थान महात्मा गांधी स्विट्ज एण्ड ओपन यूनिवर्सिटी, उन्नाव के लिये निर्दिष्ट भूमि लीडा (लखनऊ औद्योगिक विकास प्राधिकरण) के अन्तर्गत आती है।
2. प्रस्तावित विश्व विद्यालय (संस्था) के नाम ग्राम जगदीशपुर में कुल 38 गाटे क्षेत्रफल 7.5520हे0 और ग्राम चमरौली में कुल 12 गाटे क्षेत्रफल 2.1280हे0 कुल 50 गाटे कुल क्षेत्रफल 9.6800हे0 भूमि दर्ज कागजात है। संस्था के नाम दर्ज सभी गाटे वर्तमान समय में एक दूसरे से परस्पर सटे है।
3. प्रस्तावित संस्था के नाम निर्दिष्ट भूमि सम्मिलित ग्राम समाज (ऊसर) की भूमि का विनियम न्यायालय उपजिलाधिकारी हसनगंज उन्नाव के आदेश दिनांक 31.07.2020 विनियम किया जा चुका है। इसी प्रकार संस्था द्वारा निजी भूमियों का प्रस्तावित संस्था के पक्ष में बैनामा कराया जा चुका है। वर्तमान समय में संस्था के नाम निर्दिष्ट भूमि में किसी प्रकार की निजी अथवा सरकारी भूमि सम्मिलित नहीं है।
संलग्नक- यथोक्त।

पत्रांक: 190-रहका6 / 2020

दिनांक: 01.08.2020

तहसीलदार
01.08.2020
तहसीलदार हसनगंज
जनपद-उन्नाव

संस्तुति सहित

अध्यक्षरित

SDM.H

01/08/2020

SDM.H

उप जिलाधिकारी

हसनगंज-उन्नाव